

न्यायालय, उपखाण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 132 / 2025 (जी.सी.एम.एस. 2025 / 189)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मोतीराम पुत्र कोडू राम जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 19.05.2025

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 25.09.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भूअ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 99/95 के मुरब्बा नम्बर 9, 83/45 की कुल 2.276 हैक्टेयर भूमि में से वादी की पत्नी के नाम 95/569 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 120/115 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि वादी की पत्नी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातो में वादी की पत्नी का नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीलाल दर्ज है। जबकि वादी की पत्नी का वास्तविक नाम सरस्वती पत्नी मोतीराम है। वादी की पत्नी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भूअ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 99/95 व खाता संख्या 120/115 में अंकित नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीलाल के स्थान पर सरस्वती पत्नी मोतीराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2138 दिनांक 12.08.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौका पर फर्द मौका बनाया गया जिसमें उपस्थित जनो ने बताया कि सरस्वती देवी एवं सरस्वती दोनों एक ही महिला के नाम है। वादी की पत्नी का नाम सरस्वती देवी के स्थान पर सरस्वती किया जाना उचित है।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भूअ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 99/95 की प्रति, राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भूअ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 120/115 की प्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भूअ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 99/95 व

सहायक कलेक्टर एवं प.स.
उपखाण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

खाता संख्या 120/115 में अंकित नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीलाल के स्थान पर सरस्वती पत्नी मोतीराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति में नाम सरस्वती पत्नी मोतीराम दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौका पर फर्द मौका बनाया गया जिसमें उपस्थित जनो ने बताया कि सरस्वती देवी एवं सरस्वती दोनों एक ही महिला के नाम है। वादी की पत्नी का नाम सरस्वती देवी के स्थान पर सरस्वती किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ. नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 99/95 में अंकित नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीराम के स्थान पर सरस्वती पत्नी मोतीराम व खाता संख्या 120/115 में अंकित नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीलाल के स्थान पर सरस्वती पत्नी मोतीराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवारी उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इंजलास सुनाया गया।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवारी उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अवालात सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मोतीराम बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 132/2025

निर्णय दिनांक :- 25.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्बन्ध 2075 ता 2078 के खाता संख्या 99/95 में अंकित नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीराम के स्थान पर सरस्वती पत्नी मोतीराम व खाता संख्या 120/115 में अंकित नाम सरस्वती देवी पत्नी मोतीलाल के स्थान पर सरस्वती पत्नी मोतीराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 25.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपदिनांक 25.09.2025

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/2025/733

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री को नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर